



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052023-245819
CG-DL-E-11052023-245819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]
No. 287]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2023/वैशाख 21, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2023/VAISAKHA 21, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2023

सा.का.नि. 359(अ).—जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, दिनांक 26 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 608(असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (ग) में संशोधन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 01 अगस्त, 2022 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ग) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) वेबसाइट, ऐप्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित जन सुविधाएं और सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और उपकरण जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए हैं, दिव्यांगजनों के लिए आम उपयोग के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता उत्पादों और अतिरिक्त उपस्कर (एक्सेसरी) जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्रमशः दिनांक 24 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्याओं एचक्यू-पीयूबी013/1/2020-पीयूबी-बीआईएस (278) और दिनांक 4 मई, 2022 की अधिसूचना सं. एचक्यू-पीयूबी013/1/2020-पीयूबी-बीआईएस (358) के जरिए प्रकाशित भारतीय मानक आईएस 17802 (भाग I), 2021 और आईएस 17802 (भाग 2), 2022 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, का अनुपालन करेंगे :”

[फा. सं. 38-02/2022-डीडी-III]

राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव

नोट : दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 17 मार्च, 2020 की सा.का.नि. 181(असा.) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2023

G.S.R. 359(E).—Whereas a draft of certain rules to amend clause (c) of sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 was published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification number G.S.R. 608(E), dated the 26th July, 2022 of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 1st August, 2022;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), in clause (c), after item (ii), the following item shall be inserted, namely:-

“(iii) Websites, apps, information and communication technology based public facilities and services, electronic goods and equipment which are meant for everyday use, information and communication technology based consumer products and accessories for general use with persons with disabilities, and other products and services which are based on information and communication technology, shall comply with the Indian standards IS 17802 (Part 1), 2021 and IS 17802 (Part 2), 2022, published by the Bureau of Indian Standards *vide* notification numbers HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(278), dated the 24th December, 2021 and HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(358), dated the 4th May, 2022, respectively as amended from time to time: ”

[F. No. 38-02/2022-DD-III]

RAJESH KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 181 (E), dated the 17th March, 2020.